

क्र० सं० 213/18 अनवान इश्वर v/s लीलासिंह आदि
अन्तर्गत धारा 188 RT Act

S-4-19 पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी उपस्थित नहीं।
वार-वार आवान लगाई गई, तीन बार आवान
लगाने पर भी कोई उपस्थित नहीं आया। अतः
पत्रावली अदम्य धजरी अदम्य पैरवी में
शुद्धि की जाती है पत्रावली नम्बर से
उम होकर दरिपल दफ्तर हो

~~स~~
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)